फैक्स/ स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0- 19

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया /कटिहार /किशनगंज एवं शेखपुरा ।

पटना, दिनांक :- 30-6-15

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1442 दिनांक-15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 जुलाई, 2015 तक व्यय के निमित राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/-(रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	गया	03	30000	श्रम अधीक्षक, कृ०श्र० गया का पत्रांक-296 दिनांक-23.5.15 के आलोक में ।
तदैव	कटिहार	18	180000	श्रम अधीक्षक, कटिहार का पत्रांक-104 दिनांक-14.03.15 के आलोक में ।
तदैव	किशनगंज	42	420000	श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-242 दिनांक- 5.5.15 के आलोक में ।
तदैव	शेखपुरा	04	40000	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा पत्रांक-174 दिनांक- 17.7.14 के आलोक में ।
	कुल योग	**67**	**670000**	

कुल आवंटित राशि रूपये 6,70,000/- (रूपये छः लाख सत्तर हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-3429वि०(2) दिनांक-01.04.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

ह० 30/6/2015

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0- 19 पटना, दिनांक 30-6-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह० 30/6/2015

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापांक -6/एफ1-305/2015 श्र0सं0 19 पटना, दिनांक 30-6-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/ उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सहायक श्रमायुक्त प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-92 एवं 93(श्रमपक्ष) क्रमशः दिनांक-4.6.15 एवं 9.6.15 के आलोक में /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / प्रशाखा-01 श्रम पक्ष / प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

26/6/2015

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव